race in the region. Government have unambiguously conveyed India's concern at the adverse impact of such sales on the environment for peace, security and stability in the region.

गहरे समुद्र में मछलियों का शिकार

***243. श्री रामदेव भंडारी:**
श्री सुन्दर सिंह भंडारी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवबर, 1995 के "नवभारत टाइम्स" (दिल्ली संस्करण) में "श्रम संगठन लड़ेंगे मछुआरों की लड़ाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) उक्त समाचार के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा क्या सरकार गहरे समुद्र में मछलियों के शिकार के लिए संयुक्त उद्यमों को दिए गए लाइसेंस रद्द कर रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) जी हां।

(ख) मछुआरों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के संदर्भ में सरकार ने नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति की समीक्षा के वास्ते सिफारिशें करने के लिए भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री पी० मुरारी की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति का गठन किया है। अभी तक जारी की गई मंजूरियां मौजूदा नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति के अनुसार दी गई थीं। इसलिए पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

Visit of Maldives President to India

*244. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Maldives President visited India in August 1995; and

(b) if so, the details of agreements signed between the two countries?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) The President of the Republic of Maldives did not visit India in August 1995. The President visited India at the invitation of our President in March 1994, and in May 1995 in connection with the 8th Summit of the SAARC. No agreements were signed between the two countries during these visits. In September 1995, one agreement was signed between Government of Maldives, Government of India and the Educational Consultants India Limited (EdCIL). Under this agreement, EdCIL will undertake placement in Indian institutions of Maldivian candidates for training in key sectors identified by the maldives in its human resource development plan; Government of India will provide scholarships under ITEC for the candidates to be trained under this agreement.

पुलिस हिरासत तथा न्यायिक हिरासत में हुई मौतें

***245. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में पुलिस हिरासत तथा न्यायिक हिरासत में वर्ष-वार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई:

(ख) इन मौतों के लिए कितने व्यक्तियों को जिम्मेदार पाया गया और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए;

(ग) इन मौतों के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया; और

(घ) भविष्य में हिरासत में मौतों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) वर्ष 1992, 1993, 1994 और 1995 (30.11.1995 तक) के दौरान पुलिस हिरासत और

न्यायिक हिरासत में जिन व्यक्तियों की मोतें हुई उनकी संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी मृत्यु	
	पुलिस हिरासत में हुई	यायिक हिरासत में हुई
1992	5	40
1993	4	36
1994	2	28
1995 (30.11.95 तक)	1	38

(ख) और (ग) इन मौतों के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों की संख्या, उन व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं तथा इन मौतों के लिए जिम्मेदार पाये जाने पर दण्डित किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)**।

(घ) न्यायिक हिरासत में मौतों की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गए हैं:—

(i) जेल नं० 4 में एक अतिरिक्त अस्पताल का निर्माण किया गया है।

(ii) महिला वार्ड में केवल महिला कैदियों के लिए ही एक औषधालय खोला गया है।

(iii) नशेड़ियों का उपचार करने के लिए दो स्वयंसेवी एजेन्सियों की मदद से दो नशा-मुक्ति केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

(iv) चिकित्सा अधिकारियों के 6 अतिरिक्त पद तथा दो और एम्बुलैंसें स्वीकृत की गई हैं।

(v) आत्महत्याओं की रोकथाम करने के लिए, वार्ड पंचायतों द्वारा जीवन से हताश/अन्तर्मुखी कैदियों की सूची बनाई जाती है तथा उनकी सिफारिश पर, ऐसे कैदियों का उचित मनचिकित्सीय उपचार किया जाता है।

इसी प्रकार पुलिस हिरासत के दौरान मौतों की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। यह उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) इस आशय के अनुदेश दोहराए गए हैं कि हिरासत में रखे व्यक्तियों के साथ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए तथा जांच-पड़ताल के दौरान प्रपीड़क तरीकों के प्रयोग को सदा हतोत्साहित किया जाय ऐसा करने वालों से कड़ाई के साथ निपटा जाऐ। जब कभी कोई पुलिस अधिकारी यंत्रणा देने में संलिप्त अथवा हिरासत में हुई मौत के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो अपराधिक मुकदमा चलाने सहित कड़ी कार्रवाई की जाती है।

(ii) जांच-पड़ताल के वैज्ञानिक तरीके अपनाने के बारे में पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने हेतु "इन्डक्शन" और "इन-सर्विस" प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष सामग्री शामिल की गई है।

(iii) पूछताछ कक्षों को इस प्रकार पुर्नस्थापित किया जा रहा है और उन्हें रिपोर्टिंग कक्षों के निकट लाया जा रहा है ताकि वे अधिक दृष्टिगोचर रहें और अनुदेशों के उल्लंघन की गुंजाइश कम से कम हो सके।

उपर्युक्त के अलावा, मानवाधिकार आयोग के 14.12.1993 को जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, हिरासत में हुई संदिग्ध मौतों के सभी मामलों, चाहे वे पुलिस हिरासत में हुई हों अथवा न्यायिक हिरासत में, को उनके घाटित होने की जानकारी मिलने के 24 घंटे के अन्दर आयोग को सूचित किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक मामले में मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई हिदायतों का पालन किया जाता है।

विवरण

वर्ष	उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई की गई है	उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके खिलाफ केवल आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं	उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके खिलाफ केवल विभागीय कार्रवाई की गई है	दण्डित किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या आपराधिक मामले में विभागीय कार्रवाई में	
1992	3	2	1	—	4
पुलिस हिरासत					भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (ii) (ख) के अधीन बर्खास्त किए गए - 3
न्यायिक हिरासत	—	—	—	—	एक अधिकारी की पांच वर्ष की सेवा जब्त कर ली गई - 1
1993	—	9	8	—	विभागीय कार्रवाई में एक अधिकारी को दोष-मुक्त किया गया। सात अधिका- रियों के खिलाफ विभागीय जांच लम्बित है।
पुलिस हिरासत					
न्यायिक हिरासत	—	—	—	—	
1994					
पुलिस हिरासत	1	6	1	—	एक अधिकारी की निन्दा की गई। अन्य अधिकारियों के मामले में विभागीय कार्रवाई आस्थगित कर दी गई है।
न्यायिक हिरासत	—	1	—	—	
1995 (30.11.95 तक)					
पुलिस हिरासत	—	10	—	—	—
न्यायिक हिरासत	—	—	—	—	—

Container facilities at Ports

*246. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the number of containers in the Porbandar, Veraval, Kandla, Vadinar, Bhavnagar and Mundra Ports of the Gujarat State, port-wise;

(b) whether there is any proposal to provide container handling facilities at Kandla, Vadinar and Porbandar ports; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) As on 7.12.95 there were 3811 containers at Kandla Port. There are no containers at Vadinar. The other Ports are under the control of the State Government of Gujarat.

(b) and (c) Kandla Port is already handling containers. There is a proposal